

प्रिय,

अध्यक्ष
प्रबन्ध समिति
हीरोट पालीटेक्निक
महानगर, लखनऊ

सेवा में,

विशाल शुभला पुत्र श्री विभुवन नाथ शुभला
पता-645A/463, जानकी विहार कालोनी,
जानकीपुरम, लखनऊ, 30 प्रो-226021

पत्रांक-एचओएलओसीओ/2018-19/प्रवला(वार्षिक अभिगण)/16

लखनऊ दिनांक- 28 NOV 2018

विषय- प्रिलापन संख्या-एल/2015-16 दिनांक-15.04.2016 के क्रम में प्रवला वार्षिक अभिगण पत्र पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

संबंधित प्रिलापित पत्रों के संबंध में माओ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संओ-47798/2016 प्रवीन कुमार व अन्य में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में आपके अपेदन पर दिनांक-21.04.2016 एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30 प्रो, कानपुर के पत्र प्रओसंओ-11170/ई-35-एक्स-नियुक्ति कानपुर दिनांक-15.07.2016 द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दिनांक-19.09.2016 की संस्तुति के परिपेक्ष्य में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30 प्रो, कानपुर के पत्र प्रओसंओ-45820/ई-35-एक्स-अनुमोदन-हीरोट कानपुर दिनांक-27.11.2018 द्वारा आपके चयन हेतु प्राप्त अनुमोदन के क्रम में आपकी नियुक्ति प्रवला वार्षिक अभिगण के पद पर पे-बैंड रओ 15,600-39,100 ग्रेड पैमाने रओ 5,400/- में निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन की जाती है:-

1. यह कि आपकी नियुक्ति प्रवला वार्षिक अभिगण के पद पर पे-बैंड रओ 15,600-39,100 ग्रेड पैमाने रओ 5,400/- में प्रारम्भिक मूल वेतन पर अस्थाई रूप से की जाती है।
2. यह कि राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पालीटेक्निकों हेतु स्वीकृत महंगाई भत्ता, आवास भत्ता तथा नगर प्रतिफल भत्ता आपको देय होंगे।
3. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं प्रथमतः दो वर्ष के परीक्षा काल पर की जाती है। यदि इस अवधि में आपका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा तो आपकी नियमित नियुक्ति की जा सकती है।
4. यह कि आपको सौंपे गये कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह की जायेगी।
5. यह कि आपको सौंपे गये कार्य के अतिरिक्त संस्था हित में संस्था प्रशासन द्वारा पद के अनुरूप अन्य कार्य सौंपे जा सकते हैं जिसके लिये आपको कोई आपत्ति न होगी तथा जिसके लिये आपको कोई अतिरिक्त भत्ता देय न होगा।
6. परीक्षा काल में आपकी सेवायें घिना कोई कारण बताने एक माह की नोटिस के अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

7. आपकी सेवाएँ सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कर्मचारियों हेतु समय-समय पर धारित नियमों द्वारा संगठित होगी।

8. यह कि आप संस्था में अनुशासित रहकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी तथा सफल के साथ करेंगे।

9. कार्य दिवस में संस्था कार्यवाह में, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, संस्था में रुकावट होगी।

10. यह कि आपको राज्य सरकार द्वारा दिये गए सेवा विनियमों 1996 एवं समय-समय पर यथा संबंधित के प्राविधानानुसार आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा अर्जित अवकाश आदि अनुमत्त होंगे।


11. यह कि आप द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व दो सम्मानित व्यक्तियों (राज्यपाल अधिकारी/जन प्रतिनिधियों यथा सांसद/विधायक आदि) द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/राज्यपाल चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. आप द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों में यदि कोई असत्यता पायी जाती है, तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

13. आपको स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाता है कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः माओ उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है।

14. यदि भविष्य में संबंधित विभागीय पदों के संबंध में माओ न्यायालय का कोई भी निर्णय प्राप्त होता है तो वह निर्णय आपकी नियुक्ति के संबंध में प्रभावी होगा।


यदि आप उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों से सहमत हैं तो अपनी सहमति के साथ दिये गये दिनांक:-13.12.2018 तक कार्यभार ग्रहण कर लें। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह समझा जायेगा कि आप इस पद पर सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं।


28.11.18
(माओ यूओसीओ बाजपेयी)
प्रधानाचार्य

लिफ्ट पालिका
प्रधानाचार्य

पू.सं.ओ.- एच.ओ.ए.म.ओ.सी.ओ./2018-19/प्रकाश(यांत्रिक अमिओ)/
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30 प्र.ओ., कानपुर।
2. वित्त निबंधक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, 30 प्र.ओ., कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (माओसीओ), लखनऊ।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।
5. पैनल लिपिक।


(माओ एसओ अनुचालना)
अध्यक्ष
प्रधानाचार्य
लिफ्ट पालिका, लखनऊ
दिनांक:-

(माओ यूओसीओ बाजपेयी)
प्रधानाचार्य